उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,

संख्या-36/2016/1883/92-1-71(अधिष्ठान)/2014,

लखनऊ: दिनांक: 21 जून : 2016

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-1630 (एस0बी0)/2013 उ0प्र0 राज्य बनाम संजीव कुमार जैन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-9-2014 के अनुपालन में पदोन्नति में विकलांग जनों को आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्गत कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015, दिनांक 28-7-2015 के परिप्रेक्ष्य में चयन वर्ष 2015-16 में विकलांग कोटे के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पद से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के कुल 01रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के गोपनीय पत्रांक 22/2/पी/एस-12/2015-16 दिनांक 07जून, 2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आयोग की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सत्य प्रकाश मिश्रा सम्प्रति अपनी वर्तमान तैनाती के प्रखण्ड अथवा पी0आई0यू0 में ही सहायक अभियन्ता के नव पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपरोक्त नव पदोन्नत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की नियमित तैनाती के आदेश निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- उपर्युक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या-20332/2016 राकेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या- 11558/2016 मो0 हामिद शेख व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

महेश कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-36/2016/1883/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पूर्वोक्त संदर्भित गोपनीय पत्र दिनांक 07 जून, 2016 के क्रम में।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- सम्बनिधत अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

8- सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- व्यक्तिगत पत्रावली।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।